राजधानी में बुधवार को सुबह से हुई रिमझिम बारिश ने माहौल खुशनुमा बना दिया।

अब बिना हेलमेट होटल और ढाबों में खाना भी नहीं मिलेगा

ऐसे व्यक्तियों को कही भी नहीं दी जाएगी सेवा और सामान

भोपाल (काप्र)।

अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन सवारों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। दो पहिया वाहन सवारों को हेलमेंट का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये समग्र प्रयास किये जा रहे हैं।

हेलमेट के उपयोग के लिये जागरूकता अभियान के साथ वाहन अधिनियम में कार्यवाही भी की जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम और दण्डात्मक कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। बगैर हेलमेट के वाहन सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली जन-हानि को रोकने के लिये विशेष जागरूकता अभियान पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मिल कर चलाया जा रहा है। इसके लिये आवश्यक निर्देश भी सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिये जारी किये गये हैं। ऑटोमोबाइल शॉप, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, लायसेंसी शराब की दुकानें, पार्किंग संचालकों, पेट्रोल पम्पों को बगैर हेलमेट धारण किये वाहन सवार को वांछित सुविधा उपलब्ध न कराने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसी प्रकार वाहन विक्रय केन्द्रों को वाहन के साथ हेलमेट भी विक्रय करने को पाबंद किया गया है।

जागरूकता कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के साथ अन्य माध्यमों का उपयोग कर आमजन को हेलमेट धारण करने के लिये जागरूक किया जा रहा है। पुलिस एवं परिवहन विभाग ने मिल कर जागरूकता अभियान के साथ ही बिना हेलमेट वाले दो पहिया वाहन सवारों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-128 एवं 129 के तहत चालान किये गये।

माता-पिता को खो चुके मासूमों को हर माह मिलेंगे 4000 रु.

लाडली बहना योजना के बाद अब प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मां-पिता को खो चुके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार की ओर से हर महीने एक निश्चित राशि दी जाएग। इस योजना के तहत इंदौर शहर में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिनकी सत्यता की जांच के बाद बच्चे को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। यही नहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के साथ ही शहर की कई संस्थाएं इस योजना से ज्यादा से ज्यादा बेहसहारा मासूमों को जोडने के लिए घर-घर दस्तक दे रही हैं।

अनुबंध पत्र का पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य

भोपाल (काप्र)।

एक तरफ जमीनी कारोबार में वृद्धि हुई, तो दूसरी तरफ उससे जुड़े विवादों में भी अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। अमूमन हर जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें जमीनी विवाद की सामने आती है, तो सभी पुलिस थानों पर भी इससे संबंधित शिकायतों के साथ-साथ जाहिर सूचनाओं के माध्यम से भी पता चलता है कि जमीनी धोखाधड़ी के मामले कितने बढ़ गए।

यही कारण है कि पंजीयन विभाग ने जमीनी कारोबारियों को सलाह दी कि वे अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का जो अनुबंध यानी सौदा चिट्ठी तैयार करते हैं, उससे एक हजार रुपए के स्टाम्प पर बनवाएं और 0.8 प्रतिशत पंजीयन शुल्क चुकाकर उसका विधिवत विभाग में पंजीयन कराएं, ताकि कानूनी वैधता हासिल हो सके। पंजीयन विभाग के अफसरों ने जहां ई-स्टाम्प नियमों का पालन सख्ती से शुरू करवाया, वहीं लिए जाने वाले कमीशन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। विभाग ने गड़बड़ी करने वाले कई स्टाम्प वेंडरों को नोटिस भी जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक सेवाप्रदाताओं द्वारा जारी किए जाने वाले ई-स्टाम्प की राशि पर उन्हें कमीशन शासन से स्वतः प्राप्त होता है और इसके लिए 5 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क ही लिया जा सकता है। मगर टाइपिंग या पत्र बनाने के नाम पर अधिक राशि पक्षकारों से ली जाती है, जबकि बदले में उसकी रसीद दी जाना चाहिए। इसके साथ ही अफसरों ने यह भी स्पष्ट किया कि अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के अनुबंध पत्रों पर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित है। अनुबंध पत्र पर उपरोक्तानुसार चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस का समायोजन रजिस्ट्री कराने पर हो जाता है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय के अनुबंध पत्रों का पंजीयन अवश्य कराएं।

बीज, मसाला आदि बेचने वालों को लायसेंस लेना होगा

निजी बीज विक्रेता, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं कर सकेंगे। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता को उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।

कलेक्टर के साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

जिले के सभी बीएलओ को निर्देश, कोई मतदाता नहीं छूटे

भोपाल (काप्र)।

जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आशीष सिंह के साथ बुधवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया उनके साथ उप निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव और उप रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि मतदान केंद्र पर रैंप की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया किया जाए कि टॉयलेट और बुजुर्गों के लिए कुर्सी और व्हील चेयर भी मतदान केंद्र पर रहे। कलेक्टर सिंह ने निर्देशित किया है कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत कम रहा है वहां ये सुनिश्चित करें कि कोई मतदाता का नाम सूची में आने से छूट तो नहीं रहा है। मतदाताओं को जोड़ने का काम भी लगातार चलता रहे। इसके लिए बीएलओ घर - घर जाकर परीक्षण कर ले और यह भी सुनिश्चित कर ले कि एक साथ रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर हो। यदि यह बात

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पता चलती है कि कई मतदाताओं का नाम सूची में आने से छूट गया है तो संबंधित बीएलओ के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्टूबर को होगा, उसके पूर्व सभी लोग ये सुनिश्चित कर लेने की कोई भी मतदाता, मतदाता सूची में आने से वंचित ना रह जाए, इसके लिए डोर टू डोर सर्वे भी किया जाए।कलेक्टर सिंह के साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त गोस्वामी ने उत्तर भोपाल, मध्य भोपाल और दक्षिण पश्चिम विधानसभा के अनेक मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए अभी से सूची बनाकर काम शुरू कराए और व्यवस्थाएं बनाएं। इसके साथ ही मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध भी जायजा लिया और आपात स्थिति के समय त्वरित कार्यवाही करने के लिए भी वैकल्पिक प्लान के लिए निरीक्षण के दौरान चर्चा की।

भाजपा को महंगाई डार्लिंग भाए जात हैः कांग्रेस

भोपाल (काप्र)।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा एवं महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल ने संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उद्योगपतियों की गोद में बैठी भाजपा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है की वह मध्यम वर्ग के लोगों की और गरीबों की महंगाई से कमर तोड़ दे।

चाहे फल सब्जियों के दाम हों, चाहे दूध के दाम हों, चाहे आटा हो या अन्य कोई रोजमर्रा के उपयोग होने वाली सामग्री, भाजपा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीणों के किचन में आग लग जाए। जहां एक सिलेंडर खरीदने के लिए लगभग 1150 रुपए देने होते हैं, खाने का मीठा (सोयावीन) तेल 160 रू. लीटर, तुअरदाल 175 और शक्कर 42 रू. किलो मिल रही है, तो वहीं सब्जियां, जिसमें टमाटर 120, अदरक 240, लहसुन 240, धनिया 70, गोभी 120, पालक 60, मिर्च 60, पत्ता गोभी 80, गिलकी 80, लौकी 60, बीन्स 100, भिंडी 80, टिंडे 80, भिंडी 80, ब्रोकली 320, ककड़ी 60 रू. प्रतिकिलो की दर से बाजार में बिक रही हैं, इससे गरीब और मध्यम वर्ग तो महगांई की मार से कराह ही रहा है, वहीं ग्रामीण जनता पर महंगाई की दोगुनी मार पड़ रही है। यह वही भाजपा है जो महंगाई को कल तक डायन बताती थी आज वह भाजपा को डार्लिंग क्यों लगने लगी है। इस बात का जवाब भाजपा की सरकार को देना चाहिए? एक तरफ बेरोजगारी दूसरी तरफ महंगाई, लोगों के लिए आज अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लोग गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई से तंग आकर आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं।

राजधानी में बुधवार को बोहरा समाज ने ईद-उज-जुहा का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया।

नंदीश्वर जिनालय में भक्ति नृत्य द्वारा भगवान सिद्ध की आराधना

भोपाल(काप्र)।

नंदीश्वर जिनालय लालघाटी में आठ दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, विश्व शांति महायज्ञ में श्रद्धा भक्ति और आस्था का अभूतपूर्व संगम दिखाई दिया। जिनालय मे जगत कल्याण की भावना से हो रहे अनुष्ठान में जाप मंत्र के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित हो रहे हैं। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद चौधरी ने बताया जिनालय में विराजमान जिन प्रतिमाओं का अभिषेक अनुष्ठान के प्रमुख पात्र एवं इंद्र द्वारा किया गया। संगीत मय स्वर लहरियां के साथ केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया,,,,,,,, कर लो जिन वर का गुणगान, आई शुभ ये घड़ी आदि भजनों पर भक्ति नृत्य के साथ इंद्र इंद्राणी द्वारा भगवान सिद्ध की आराधना की गई। विधानाचार्य पंडित वर्धमान सौरया के निर्देशन में अनुष्ठान हुए। अनुष्ठान के प्रमुख पात्र विनोद पूनम जैन, सोधर्मेंद्र इंद्राणी द्वारा मंडल पर श्री फल अर्पित किए। अन्य प्रमुख पात्रों मे संतोष संगीता, कुबेर सरोज निर्मल जैन, नम्रता विकास महायज्ञ नायक डॉ सर्वज्ञ, मिली ईशान इंद्र राजीव श्रुति, मैना सुंदरी शील चंद्र स्नेह लता, सनत इंद्र चक्रेश ममता, महेंद्र इंद्र, अन्य प्रमुख इंद्र आरके अभिराज जैन, एडवोकेट राकेश सुनीता सलामतपुर, मनोज नीलिमा, प्रतीक सुमन, आलोक प्रियंका, संजय निशी चौधरी मीणा, आरके जैन, अशोक सुनीता, विनोद सुषमा, नरेंद्र सुषमा, पदम संगीता, शैलेश रेखा, विजय वर्षा, आदि प्रमुख पात्रों द्वारा मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए गए।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल सं.क्र. 1 जी.टी.बी. काम्प्लेक्स न्यू मार्केट भोपाल (म.प्र.)

आम सूचना

साईट एंड सर्विसेज कालोनी बैरसिया रोड भोपाल में स्थित भूखंड क्र. एम.आई.जी. बी-836 मंडल द्वारा श्री सुनील कुमार एवं श्री फिरोज खान एवं श्री आजाद खान एवं श्री मोहम्मद जावेद के नाम से आवंटित है। उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्रीमती फरजाना पत्नी श्री अखलाक अहमद को हस्तांतरण किए जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था को इसमें कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग क्रमांक 1 भोपाल

1865

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल सं.क्र. 1 जी.टी.बी. काम्प्लेक्स न्यू मार्केट भोपाल (म.प्र.)

आम सूचना

विश्वकर्मा नगर कालोनी बैरसिया रोड भोपाल में स्थित भवन क्र. एल.आई.जी. 163 मंडल द्वारा श्रीमती रागिनी त्रिवेदी पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी के नाम से आवंटित है, स्व. रागिनी त्रिवेदी की मृत्यु दिनांक 08.03.2021 को हो गई है। उनकी पुत्री श्रीमती सुषमा मीणा पत्नी श्री जयप्रकाश मीणा ने मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं अनापत्ति (शपथ पत्र) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति अपने नाम पर नामांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ संस्था को इसमें कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग क्रमांक 1 भोपाल

1866

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 18/अ-6/ 2022-2023

मौजा : बरखेड़ा सालम तहसील हुजूर भोपाल

सूचना पत्र

प्रति, श्री कालूराम आ. श्री मुंशीलाल, अशोक कुमार भगवानदास, धर्मदास, मधु रजनी, पुत्र/पुत्री श्री होतमचन्द, होतमचन्द आ. श्री रामदयाल ग्राम बरखेड़ा सालम, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.।

इस सूचना पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हरीप्रसाद आ. श्री नन्नूलाल जी निवासी ग्राम बरखेड़ा सालम, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. द्वारा म.प्र.भू.रा. सहिता की धारा 250 के तहत अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक के स्वत्व की भूमि खसरा क्रमांक 68, 69, 97, 249, 250 रकबा क्रमशः 0.89, 0.12, 0.58, 0.10, 1.65 हेक्टेयर स्थित भूमि ग्राम बरखेड़ा सालम प.ह.नं. 56 तहसील हुजूर जिला भोपाल का अभिलेख दुरुस्त किए जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलेख परीक्षण एवं मौका निरीक्षण उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आप प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। प्रकरण अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है। अतः आप स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 07.07.2023 को उपस्थित होकर प्रस्तावित अभिलेख सुधार में दावा/आपत्ति अथवा सहमति प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त सूचना पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 20.06.2023 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

1867

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड, मेट्रो वॉक कामर्शिलय काम्प्लेक्स, ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल में स्थित दुकान क्रमांक 28 (लोअर ग्राउण्ड फ्लोर) मण्डल द्वारा (1) श्री रामू साहा आत्मज श्री कुसाई लाल साहा (2) श्रीमती लक्ष्मी साहा पत्नी स्व. श्री संजय साहा के नाम से हस्तांतरित/नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 09.10.2012 को पंजीकृत है। (1) श्री रामू साहा (2) श्रीमती लक्ष्मी साहा से उक्त संपत्ति श्री रितिक विश्वकर्मा आत्मज श्री शिवकुमार विश्वकर्मा ने विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया गया, जिसका पंजीयन दिनांक 11.04.2023 को पंजीकृत किया गया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्री रितिक विश्वकर्मा आत्मज श्री शिवकुमार विश्वकर्मा के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, भोपाल

1868

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार कालूराम महावर निवासी ग्राम रातीबड़ जिला भोपाल (म.प्र.) के पुत्र दशरथ एवं पुत्रवधू शीतल द्वारा अत्यधिक मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से मेरे पक्षकार के द्वारा 7 वर्ष पूर्व अपनी समस्त संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था, किन्तु पुत्र दशरथ द्वारा अपनी परेशानी बताई गई तो बीच-बीच में मदद भी की गई, किन्तु मेरे पक्षकार के सीधे-सादेपन का फायदा उठाते हुए पुत्र दशरथ एवं पुत्रवधू शीलत द्वारा मेरे पक्षकार को पत्नी सहित घर से बाहर निकाल दिया और जबरदस्ती ग्राम रातीबड़ स्थित मकान पर कब्जा कर लिया। मेरा पक्षकार उपरोक्त आचरण के कारण अपनी समस्त संपत्ति से अपने पुत्र दशरथ को बेदखल करता है। पुत्र दशरथ महावर एवं पुत्रवधू शीतल महावर का मेरे पक्षकार की चल-अचल संपत्ति से कोई भी हित अधिकार नहीं होगा। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार अपनी संपूर्ण संपत्ति से अपने पुत्र दशरथ को बेदखल करता है। अतः यह सूचना पत्र सूचनार्थ प्रेषित है।

भारती शास्त्री, अधिवक्ता
पता- वी-20 वसुन्धरा स्टेट बैंक कालोनी, जहांगीराबाद, भोपाल
मो. नं. 9425010450

1869

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
जोन क्र. 04 (यांत्रिक विभाग)

09 /यां.वि./2023 **भोपाल दि. 27/06/2023**

निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु पर परसेन्टेज मोहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर आनलाईन आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.	आनलाईन निविदा क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	प्रपत्र राशि	कार्यहेतु निर्धा. एसओआर	कार्य की अवधि
1.	2023_UAD _287573_1	CONSTRUCTION OF PCC DRAIN AND CULVERT AT NAMAK WALI GALI No.2 FROM MASJID FARAD TO SAI MANDIR MEIN ROAD WARD 18 ZONE 04.	3,17,048	3170	2000	MPUADD BUIL-DING ISSR 2021	60 DAYS
2.	2023_UAD _287545_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD AT NAMAK WALI GALI No.1 FROM MASJID FARAD TO SAI MANDIR MEIN ROAD CHHOLA DASHERA MAIDAN WARD 18 ZONE 04	2,47,427	2474	2000	MPUADD BUIL-DING ISSR 2021	60 DAYS
3.	2023_UAD _287528_1	CONSTRUCTION OF PCC DRAIN WORK AT RAVAN WALI GALI RAM NAGAR NEAR UNDER BRIDGE KAICHI CHHOLA WARD 18 ZONE 4	3,87,489	3,875	2000	MPUADD BUIL-DING ISSR 2021	60 DAYS
4.	2023_UAD _287475_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD AT FROM CHHOLA MAEIN ROAD TO MASJID SYED SULTAN SAHAB GALI No. 02 KARGIL COLONY WARD 18 ZONE 04	3,93,771	3,938	2000	MPUADD BUIL-DING ISSR 2021	60 DAYS
5.	2023_UAD _287500_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD AT FROM MANOJ PANTHI TO MOHAN KUSHWAH,DURGA PRASAD SITARE ON RAILWAY UNDER BRIDGE No. 02 WARD 18 ZONE 04	1,47,098	2,942	1000	MPUADD BUIL-DING ISSR 2021	30 DAYS
5.	2023_UAD _287537_1	CONSTRUCTION OF PCC DRAIN AT RAM NAGAR COLONY NEAR DURGA MAMDIR NEAR RAILWAY UNDER BRIDGE 02 KAICHI CHHOLA WARD 18 ZONE 04	91,956	1,839	1000	MPUADD BUIL-DING ISSR 2021	30 DAYS

नि.क्र. 572/023/024 **सहायक यंत्री, नगर निगम भोपाल**